

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

जयपुर, दिनांक 26 SEP 2013

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त, राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012-13" के दौरान दिनांक 30.9.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं छूटों के संबंध में दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 193/2012 के अनुसरण में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" हेतु विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.10.2012 द्वारा और इसके अनुक्रम में संभव-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विविध आदेशों के तहत अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं/छूटें दी गयी हैं तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2.4.2013 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012-13 की follow-up अवधि अब तक लागू सभी शिथिलताओं, छूटों तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) के साथ दिनांक 31.3.2013 से बढ़ाकर दिनांक 30.6.2013 की गयी, तत्पश्चात् विभागीय समसंख्यक आदेशों द्वारा उक्त अवधि दिनांक 30 सितम्बर, 2013 निर्धारित कर उक्त शिथिलताएं/छूटें एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि दिनांक 30 सितम्बर, 2013 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर लागू माने जाने बाबत आदेश प्रसारित किये गये।

राज्य सरकार द्वारा सभन स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 30.09.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विविध आदेशों के द्वारा अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं, छूटें तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, waives, delegation of power etc.) दिनांक 31.12.2013 तक प्रभावी होगा तथा प्रशासन के संग अभियान 2012-13 के दौरान दिनांक 30.09.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.12.2013 तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संयु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

(432)